संख्या– 2319 / 81–2–2022–79 / 1991

प्रेषक,

ओम प्रकाश
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 19 अक्टूबर, 2022

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–731 / 11–सी–FP/ UP/min/ 29096/ 2017, दिनांक 29.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 8.08.2022 के संदर्भ में वन संरक्षक मिर्जापुर के पत्र दिनांक 25.08.2022 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 24.05.2022 में उल्लिखित पृच्छा के बिन्दु–4 में उपलब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत हैः–

4.	The State Govt. has intimated that the user agency has violated the provisions of FCA 1980 by leasing out 18.2608 acre Forest land. The State Govt. may therefore initiate the process of taking acton against the said violation and submit report to the ministry.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि 18.2608 एकड़ वनभूमि के उल्लंघन के प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–419 / 11–सी दिनांक–20.08.2015 द्वारा प्रकरण प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है। प्रकरण में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नही है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत विषयगत प्रकरण में उल्लिखित 18.2608 एकड़ वनभूमि में हुये उल्लंघन के प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 11–3–2022 भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को संगत संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये उसकी प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर, प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट एवं आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही की आख्या से शासन को अवगत करायें, परन्तु अभी तक शासन की अपेक्षाकम में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर

कृत कार्यवाही की आख्या से शासन को अवगत नही कराया गया है। वनभूमि के उल्लंघन के प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 11–3–2022 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्तर पर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना है, जो अद्यतन प्रतीक्षित है।

कृपया उपरोक्तानुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर कृत कार्यवाही की आख्या से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

3– महाप्रबंधक नार्दन फील्डस लि0 ककरी परियोजना सोनभद्र।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव